

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4-100/सात-1/2012
प्रति,

30 JUN 2015
रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

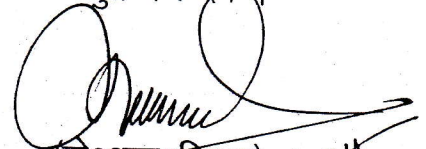
विषय:- संहिता की धारा 241 के अंतर्गत वृक्षों की कटाई हेतु स्थल निरीक्षण व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 के अंतर्गत बने नियमों में वृक्षों की कटाई की अनुमति हेतु 03 माह की समय-सीमा निर्धारित है।

इसी प्रकार अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों तथा वन अधिकारियों द्वारा भी स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिनों की कार्यावधि नियत है।

बहुधा अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों तथा वन अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण तो कर लिया जाता है, किन्तु उनके द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जाता है।

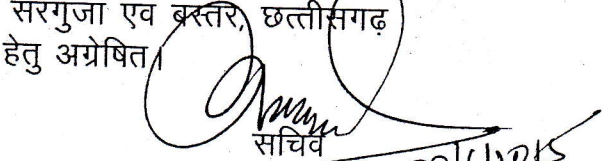
अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि स्थल निरीक्षण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित अधिकारी अधिकतम तीन दिवस में अपना प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर दें।


(के० अरुणोपिस्टा)
सचिव 29/6/2015

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

पृ० क्रमांक एफ 4-100/सात-1/2012
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर
2. संभागीय आयुक्त, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा एवं बस्तर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
29/6/2015